आदेश पत्रिका

यू.एन.सी.आर.प्र.क. 10036/2025
फाईलिंग नं. 42791/2025
सी.एन.आर.नं.एम.पी.09010501472025

मणप्पुरम फाइनेंस लि.
वि.
मनोज व अन्य

13-10-2025

परिवादी द्वारा श्री जुनैद खान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण पंजीयन तर्क/न्यायशुल्क प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर परिवादी की ओर से अधिवक्ता द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा 280 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/257 दं.प्र.सं. का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है, इस कारण परिवादी यह प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध नहीं चलाना चाहता हैं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा न्यायालय के बाहर राजीनामा हो जाने के कारण परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह सदर प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध नहीं चलाना चाहता हैं, परिवाद वापस लेना चाहता हैं। परिवादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त के मध्य समझौते के अनुसार अब किसी प्रकार का मनमुटाव, विवाद शेष नहीं रहा है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम विविधित पंजीबद्ध कर प्रकरण का अभिलेख नियत समयावधि में अभिलेखागार में प्रेषित किया जावे।

रवि कुमार साहू
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इन्दौर म.प्र.